रजिस्ट्री सं० डी० एल०–33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 580] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 6, 2006/अग्रहायण 15, 1928

No. 580] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 6, 2006/AGRAHAYANA 15, 1928

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2006

सा.का.नि. 737(अ).—नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 16 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ.–(1) ये नियम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (परिषद् की बैठकों में भाग लेने के लिए भत्ता) नियम, 2006 कहलाएंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं.–(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) है;

(ख) "परिषद्" का तात्पर्य इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् है;

(ग) "सचिव" का तात्पर्य नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 33 की उप-धारा (1) में उल्लिखित परिषद् का सचिव है;

(घ) यहां प्रयोग किए गए तथा अपरिभाषित, परन्तु अधिनियम में परिभाषित, शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का तात्पर्य वही होगा जिनके लिए उनका अधिनियम में प्रयोग किया गया है ।

3. बैठकों में भाग लेने के लिए भत्ता.–सदस्य, परिषद् या उसकी किसी समिति की बैठक या बैठकों में भाग लेने के लिए प्रतिदिन 0/- रुपए (एक हजार रुपए मात्र) का दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे परन्तु यह अधिकतम 3000/- रुपए (तीन हजार रुपए मात्र) माह के अध्यधीन होगा ।

4. सचिव, सदस्यों को देय भत्ता आहरित करेंगे.–सचिव, सदस्यों के उपस्थिति रजिस्टर से उनकी उपस्थिति को सत्यापित करने पश्चात् सदस्यों को देय भत्ता आहरित करेंगे तथा संबंधित सदस्य से भत्ता प्राप्त करने की रसीद प्राप्त करेंगे ।

[फा. सं. यू. 14011/105/2006-दिल्ली-II]

बी. ए. कौटिन्हो, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2006

G.S.R. 737(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 16 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. *Short title and commencement.* —(1) These rules may be called the New Delhi Municipal Council (Allowances for Attending the Meetings of the Council) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. *Definitions.* —(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994);

(b) "Council" means the New Delhi Municipal Council established under the Act;

(c) "Secretary" means the Secretary of the Council referred to in Sub-section (1) of Section 33 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994);

(d) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. *Allowances for attending meetings.*—A Member shall be entitled to receive daily allowance at the rate of Rs.1,000/-(Rupees one thousand only) for each day on which he attends a meeting or meetings of the Council or any Committee thereof, subject to a maximum of Rs. 3,000/- (Rupees three thousand only) per month.

4. *Secretary to draw the allowance payable to members.*—The Secretary shall draw the allowance payable to members, after verifying the attendance from the register recording roll of members and obtain receipt from the concerned member for having received the allowance.

[F. No. U. 14011/105/2006-Delhi-II]

B. A. COUTINHO, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.